




राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,  
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, जयपुर  
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2021/10578 दिनांक:- 30/09/2021

परिपत्र

निगम में माल, सेवाओं एवं संकर्मों (Good, Services and Works) के उपापन के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बोलियों का प्रस्तुतिकरण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। लेकिन यह देखने में आया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संविदा के अधिनिर्णय की सूचना राज्य उपापन पोर्टल पर प्रकाशित नहीं की जा रही है।

अतः बोली आमंत्रित करने हेतु सक्षम समस्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में संविदा के अधिनिर्णय की सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 27 की उप-धारा (3) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 71 की पालना करते हुए राज्य उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें।


  
(वीना गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/173/2021/10578 दिनांक:- 30/09/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, .....।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(राज कुमार)  
महा प्रबन्धक (वित्त)

29/30  
11/10/21  
क्ष.